न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 71 / 16
दायरा दिनांक 19.07.2016
निर्णय दिनांक 11.07.2019

बउनवान

1. श्रीमती उषारानी पत्नी दिलीप कुमार जाति बंगाली निवासी परानियां तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राज0सरकार जरिये तहसीलदार साहब किशनगंज जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा, 88,89,188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :–11.07.2019

वादनी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट जरिये अभिभाषक श्री विजय नागर इस आशय का पेश किया

1. यह कि आराजी ग्राम परानिया पटवार हल्का परानियां तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान के माल मे स्थित खेवट खतोनी संख्या नई 29 पुरानी 26 के ख0सं0 130 रकबा 3.11 बीघा,ख0न0 131 रकबा 6.01 बीघा,ख0न0 235 रकबा 2.01 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 11.13 बीघा स्थित है। जो वादिया ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अनिल विश्वास पुत्र राजेन विश्वास निवासी घटटी से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया क्रय दिनांक से आज दिन तक वादिया इस आराजी पर काबिज काश्त है। वाद पत्र मे आगे इस आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि न्यायालय एस0डी0ओ0 किशनगंज प्रकरण सं0 141 / 2002 दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट बउनवान अनिल विश्वास बनाम रामोल बनर्जी उर्फ प्रदीप वगेरा निर्णय दिनांक 23.08.2002 मे न्यायालय ने उक्त वादग्रस्त आराजी को वादनी का कब्जा मानते हुये तहसीलदार किशनगंज को पत्रावली रिमाण्ड की थी।
3. यह कि तहसीलदार महोदय किशनगंज द्वारा उक्त आराजी वादनी के खाते दर्ज नही होने की जानकारी वादनी द्वारा पटवारी हल्का से नकल लेने पर दिनांक 03.04.2016 को हुई उसके बाद वादनी ने तहसीलदार महोदय किशनगंज व राजस्व कर्मचारियों से वाद ग्रस्त आराजी वादनी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार महोदय किशनगंज ने न्यायालय श्रीमान् से पुनः आदेश कराने की सलाह दी।
4. यह कि वादनी गरीब महिला है जिसने उपपंजीयक कार्यालय किशनगंज से जानकारी के बाद नियमानुसार विक्रेता अनिल विश्वास को प्रतिफल राशि अदा कर उक्त वादग्रस्त आराजी को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जो आज दिनांक तक जारी है।
5. यह कि उक्त वादग्रस्त आराजी के दस्तावेज विक्रय पत्र मे विक्रेता अनिल विश्वास ने सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त करना कब्जा देना तथा अपना व अपने उत्तराधिकारियों द्वारा भविष्य मे उक्त वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार की आपत्ति नही करना आराजी वादनी श्रीमति उषारानी के खाते दर्ज करवाने की आदि शर्ते दस्तावेज विक्रय पत्र मे लिखवाकर विक्रयपत्र का पंजीयन कराया उक्त विक्रय पत्र में अनिल विश्वास ने लिखवाया कि मेरी अनुपस्थिति मे क्रेता श्रीमति उषारानी क्रयशुदा आराजी को अपने नाम दर्ज करा लेवे जिस पर विक्रेता अनिल विश्वास व उसके वारिस को कोई आपत्ति नही है।
6. यह कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे न्यायालय श्रीमान् द्वारा विक्रेता अनिल विश्वास के वाद पत्र पर दस्तावेज विक्रय पत्र के सम्बन्ध मे तहसीलदार महोदय किशनगंज को पूर्व मे दिशा निर्देश दिये जा चुके है। इसलिए वर्तमान खातेदार को वाद पत्र मे पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही है।

7. यह कि वादग्रस्त आराजी को वादिया उषारानी के खाते दर्ज करने बाबत् राजस्थान सरकार को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिनांक 17.06.2016 को प्रेषित कर दिया गया है परन्तु वाद कृषि आराजीयात् से सम्बन्धित आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस अवधि समाप्ति तक इन्तजार किया जाना सम्भव नही है। इसलिए वादपत्र 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय श्रीमान् में पेश है।
8. यह कि वाद कारण राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां को नोटिस प्रेषित करने पर दिनांक 12.05.2016 को उत्पन्न हुआ।
9. यह कि वादग्रस्त आराजी न्यायालय क्षैत्राधिकारी मे स्थित होने से मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है।
10. यह कि वाद पत्र अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे।

(अ) वादग्रस्त आराजी ग्राम परानिया पटवार हल्का परानिया तहसील किशनगंज जिला बारां खतोनी संख्या नई 29 पुरानी 26 के ख0सं0 130 रकबा 3.11 बीघा, ख0सं0 131 रकबा 6.01 बीघा, ख0सं0 235 रकबा 2.01 बीघा, कुल किता 3 कुल रकबा 11.13 बीघा को वादिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने के आदेश तहसीलदार महोदय को जारी किये जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान् उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये नियत तिथि को स्वयं उपस्थित नियत तिथि को पेरोकार सरकार ने इस आशय जवाब पेश किया कि–

1. दावे में मद संख्या 1 स्वीकार है।
2. दावे मे मद संख्या 2 अस्वीकार है यह कि प्रकरण संख्या 141/ 2000 से धारा 188वाद खारिज करते हुये धारा 42 के अन्तर्गत बेचान नियमो के विपरित हो तो नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय किशनगंज द्वारा दिये गये थे।
3. दावे मे मद संख्या–3 स्वीकार है।
4. दावे मे मद संख्या–4 स्वीकार है।
5. दावे मे मद संख्या–5 स्वीकार है।
6. दावे मे मद संख्या–6 अस्वीकार है।
7. दावे मे मद संख्या –7 स्वीकार है तहरीरी अनोपचारिकता है।

विशेष कथन है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि ग्राम परानिया की ख0सं0 130 रकबा 3.11 बीघा, ख0सं0 131 रकबा 6.01 बीघा, ख0सं0 235 रकबा 2.01 बीघा, कुल किता 3 कुल रकबा 11.13 बीघा भूमि वादी द्वारा क्रय की गई थी जो कि गैर खातेदारी की भूमि थी गैरखातेदारी भूमि के विक्रय पत्र पर अमलदरामद नही किया जा सकता अतः वाद खारिज योग्य है।

तनकी इस आशय की कायम की गई की–

1. आया आराजी ग्राम परानिया पटवार हल्का परानिया ख0सं0 130 रकबा 3.11 बीघा, ख0सं0 131 रकबा 6. 01 बीघा, ख0सं0 235 रकबा 2.01 बीघा, कुल किता 3 कुल रकबा 11.13 बीघा स्थित है। जिसे जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की जिस पर वादीया क्रय दिनांक से लगातार काबिज काश्त है जिस पर वादीया खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

वादीया

2. आया न्यायालय एस0डी0ओ0 किशनगंज निर्णय संख्या 141/ 02 मे वादीया का कब्जा माना है।

वादीया

3. आया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रेता द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा देना तथा अपना व अपने उत्तराधिकारियों द्वारा भविष्य में दखलअन्दाजी न करना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित है इसलिए विक्रेता को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही है।

वादीया

4. आया वादग्रस्त आराजी गैरखातेदारी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है इसलिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अमल दरामद नही किया जा सकता ।

प्रतिवादी

5. अनुतोष।

तनकीवार विश्लेषण इस प्रकार है–

1. **तनकी सं01** को वादनी ने अपने बयान व विक्रय पत्र से अपने पक्ष में निर्णित करवाने मे सफल रही अतः तनकी सं0 1 वादनी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।
2. **तनकी सं0 2** को वादनी ने निर्णय प्रति,बयान के द्वारा अपने पक्ष मे निर्णित करवाने मे सफल रही है। उक्त तनकी वादनी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।
3. **तनकी सं0 3** को वादनी अपने पक्ष मे निर्णित करवाने मे सफल रही है अतः उक्त तनकी वादनी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।
4. **तनकी सं0 4** प्रतिवादी अपने पक्ष निर्णित करवाने मे कोई साक्ष्य पेश नही कर सके उक्त आराजी खातेदारी मे दर्ज होने से उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी मे PW-1 उषारानी पत्नी दिलीप कुमार के बयान लेखबद्व करवाये दौराने बयान उषारानी ने जाहिर किया ग्राम परानिया पटवार हल्का परानियां तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान के माल मे स्थित खेवट खतोनी संख्या नई 29 पुरानी 26 के ख0सं0 130 रकबा 3.11 बीघा,ख0न0 131 रकबा 6.01 बीघा,ख0न0 235 रकबा 2.01 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 11.13 बीघा को मेने क्रय कर आराजी कब्जा क्रय दिनांक से प्राप्त किया जो आज दिन तक लगातार है। नकल जमाबन्दी प्रदर्थ PW-1 है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श PW-2 है। जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श PW-2(A) है। जो मेने पेश की है। नोटिस 80सी0पी0सी0 दिनांक 17.06.2016 मय डाक रसीद मेने पेश किया है जो प्रदर्श PW-3 है। मेने मेरा पहचान पत्र पेश किया है जो पत्रावली में संलग्न है। मै अदालत से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तथा क्रय दिनांक से आज दिन तक कब्जा होने के आधार पर न्यायालय से खातेदारी प्राप्त करना चाहती हूँ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन के समय तहसीलदार किशनगंज से दस्तावेज दिखाकर पंजीयन होने बाबत् तहसीलदार द्वारा हॉ करने पर विक्रेता को प्रतिफल अदा कर दस्तावेज विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराया था। वादी अधिवक्ता और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधिवक्ता की साक्ष्यवादी समाप्त की जाती है। प्रतिवादी अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नही की पेरोकार सरकार की साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने अपने वादपत्र मे अंकित बिन्दूओं को दौहराया और निवेदन किया कि पंजीयन शुदा कब्जे काश्त की आराजी पर खातेदार घोषित किया जावे पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचनानुसार वादनी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

कि वाकेग्राम परानिया पटवार हल्का परानियां तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान के माल मे स्थित खेवट खतोनी संख्या नई 29 पुरानी 26 के ख0सं0 130 रकबा 3.11 बीघा,ख0न0 131 रकबा 6.01 बीघा,ख0न0 235 रकबा 2.01 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 11.13 बीघा पर वादिया को खातेदार घोषित किया जाता है। वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.08.08 12:38:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: